

16.01.23 पञ्जाबी पत्र। अर्थात् वादीया कब्रिस्तान व पुम्बा कु
 पैरोकार सरकार उपस्थित। वादीया कब्रि- की जगह पुं
 व पैरोकार सरकार की जगह सुनी गई। पुत्र पुम्बा कु
 वादीया द्वारा प्रस्तुत ताद पत्र व संलग्न किया जात
 दरसावेजों का आद्योपगत अध्यायन अवलोकन स्टेट कोर्ट
 किया गया। पैरोकार सरकार ने पुम्बा कु एतराज क
 दुंगा की जगह जॉरिमे रेकॉर्ड दुरुस्ती दुंगाराम निम्न
 पुत्र पुम्बाजी किये जाने पर एतराज नहीं
 होना चाहिए किया है। उपर्युक्त विवेचन के
 आधार पर रेकॉर्ड दुरुस्ती किया जाना (घामकोरा)
 उचित होता है। अतः पञ्जाबी स्वीकार योग्य
 होने से स्वीकार की जाकर फैसला घुषक
 से लिखा जाकर शामिल पञ्जाबी है।
 पञ्जाबी फैसला सुमाट होकर दर्ज
 नम्बर से क्रम की जाकर वास्तविक दफ्तार
 हो

पुम्बा कु
 की जगह पुं
 पुत्र पुम्बा कु
 किया जात
 स्टेट कोर्ट
 एतराज क
 निम्न
 16/1/23
 NDR
 Redd

सहायक कलेक्टर
 रेंवदर, जिला मिरांही